तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/3860/2003/चित्तौड़गढ़ हरजी बनाम श्रीमति दाखी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–
श्री के0के0पुरोहित व श्री जे0के0पारीक, अधिवक्तागण अपीलार्थीगण।
श्री अयूब खान, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

––

निर्णय

दिनांकः 21–08–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील सं0 56/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08–07–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने उपखण्ड अधिकारी, बेगू के न्यायालय में एक दावा अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि मौजा सुवाणिया की भूमि खसरा सं0 175 से 179, 195 से 198, 206 से 214 भूमि चाह सं0 204 से पीवल होती है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के शामलाती खातेदारी की होकर मौके पर शामलाती कब्जा काश्त वर्षो से चला आ रहा है। वादी को लालू एवं उनकी पत्नि दाखी प्रतिवादिया सं0 1 ने गोद लिया, जिसमें उसके पिता की सहमति थी। लालू एवं दाखी की सेवा चाकरी वादी ने की एवं लालू की मृत्यु पर काज क्रियावर वादी ने किया एवं इसी आधार प्रतिवादी दाखी के साथ वादी का नाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/3860/2003/चित्तौड़गढ़ हरजी बनाम श्रीमति दाखी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी में दर्ज हो गया लेकिन प्रतिवादिया के मन में बदनियती आ जाने के कारण उसने नामान्तरकरण की अपील कर वादी का नाम हटवा दिया। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादी का बराबर हिस्सा घोषित किया जावें। वाद पत्र पेश होने पर विचारण न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादिया ने जवाब पेश कर वाद पत्र के कथनों से इन्कार किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगू ने अपने निर्णय दिनांक 31–01–2002 द्वारा प्रतिवादिया के पक्ष में डिक्री जारी करते हुए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08–07–2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील पेश की गई है। 3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। 4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख के विपरीत है। उनका यह भी तर्क था कि आराजी खसरा नं0 175 से 179 किता 5 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर अपीलार्थी काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती। उनका तर्क था कि अपीलार्थी को नियमानुसार रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया व उसी आधार पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/3860/2003/चित्तौड़गढ़ हरजी बनाम श्रीमति दाखी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी विवादित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है, उसने अपने दावे को साक्ष्य से सिद्ध करवाया है। उनका तर्क था कि प्रथम अपील न्यायालय ने अपना निर्णय तनकीवार नहीं किया है। उनका तर्क था कि स्व0 श्री लालू के देहावसान के बाद विवादित आराजी का नामान्तरकरण वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम स्वीकृत किया गया परन्तु प्रत्यर्थी सं0 1 ने गलत रूप से अपीलार्थी का नाम खातेदारी से हटवा दिया, ऐसी स्थिति में वादी पुनः विवादित आराजियात को संयुक्त खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त किए जावें। 5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि गोदनामे बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, ऐसी स्थिति मे गोदपुत्र होने के आसाार पर वो खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है। द्वितीय अपील का क्षैत्र सीमित है। अतः द्वितीय अपील निरस्त की जावें। 6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7– प्रश्नगत अपील में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी/वादी गोदपुत्र होने के आधार पर विवादित भूमि पर खातेदारी घोषित करवाने हेतु सक्षम है। यह तथ्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/3860/2003/चित्तौड़गढ़ हरजी बनाम श्रीमति दाखी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्विवाद है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा गोदनामा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जैसा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विवेचित किया है कि मौखिक साक्ष्य विरोधाभासी होने के कारण गोद के प्रश्न को अपीलार्थी/वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं माना जा सकता। जब घोषणा का मुख्य आधार ही वादी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है तो वह खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं हो सकता। 8– हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निणय समवर्ती है। द्वितीय अपील का क्षैत्र सीमित है तथा इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वे अभिलेख के विपरीत न हो। वर्तमान द्वितीय अपील में ऐसा कोई तथ्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है। अतः हम द्वितीय अपील को खारिज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् समझते है। 9– परिणामतः यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08–07–2003 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामनिवास जाट) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	